नई आशाओं का संचार करने वाला बजट

चुनावी वर्ष का यह बजट ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी इलाकों और मध्यम वर्ग के लिए अत्यंत लुभावना है। बोनस भुगतान और ईएसआइ में पात्रता के लिए वेतन सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपये करने और ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे कामगारों और श्रमिकों को राहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन सेवायोजकों पर इसकी ज्यादा लागत का बोझ पड़ेगा। मोदी सरकार के प्रत्येक बजट की तरह इस बार भी रॉबिनहुड बजट लाने का प्रयास किया गया है। जिसमें जरूरतमंदों को राहत दी गई लेकिन अमीर करदाताओं को लुभाने का प्रयास नहीं किया गया।

बजट में किसान, घुमंतू समुदायों, महिलाओं, वृद्धों, युवाओं के विकास और उत्थान के लिए ज्यादा आवंटन किया गया है। सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्योगों और कारोबारियों का भी खयाल किया गया है। सरकार ने रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल इंडिया और बुनियादी विकास पर अपना ध्यान बनाए रखा है। लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि क्या सरकार इन घोषणाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त फंड जुटा पाएगी या नहीं। बजट में आयकर के स्लैब नहीं बदले गए हैं। लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने का प्रयास जरूर किया गया है। पांच लाख रुपये तक करयोग्य आय वाले करदाताओं को यह राहत मिलेगी। आय इससे ज्यादा होते ही उन्हें पिछले स्लैब से ही टैक्स भरना होगा। हालांकि स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की राहत सभी को मिलेगी।

विशेषज्ञ टिप्पणी

सीए रघु मारवाह
मैनेजिंग पार्टनर, आरएन मारवाह एंड कंपनी एलएलपी

मोदी सरकार के पिछले सभी बजट की तरह यह भी रॉबिनहुड बजट रहा है। गरीबों का खयाल करने के साथ ही मध्यम वर्ग को राहत का प्रयास किया गया है। यह ऐसा बजट में जिससे कमजोर वर्गों का उत्थान होगा। नव भारत की ऐसी तस्वीर दिखती है जहां भ्रष्टाचार और काला धन इतिहास बन चुका होगा।

खुद के इस्तेमाल वाले दूसरे मकान की काल्पनिक आय पर टैक्स के बोझ से भी करदाताओं को राहत मिलेगी। इससे अपने गृह शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में नौकरी के लिए रहने वालों को राहत मिलेगी। अगर एक से ज्यादा मकानों में करदाता खुद ही रहता है तो उसे कुल मिलाकर दो लाख रुपये होम लोन ब्याज का डिडक्शन मिलेगा। मंदी से जूझ रहे बिल्डरों को भी राहत की कोशिश है। उनके लिए कई तरह के कर प्रावधान किए गए हैं। इससे रियल एस्टेट की सुस्ती दूर होने की उम्मीद बनी है। बैंक, डाकघर और को-ऑपरेटिव सोसायटी अब 40,000 रुपये से ज्यादा ब्याज आय होने पर ही टीडीएस काटेंगे। अभी तक उन्हें 10,000 रुपये से ज्यादा ब्याज आय होने पर टीडीएस काटना होता था। इससे ब्याज आय से गुजारा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और घरेलू महिलाओं पर कर अनुपालन का बोझ कम होगा। टीडीएस काटने के लिए किराए की सीमा सालाना 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.4 लाख करोड़ किए जाने से कुछ वर्गों को खासकर मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। बजट में दो करोड़ रुपये तक कैपिटल गैन टैक्स से छूट दी गई है। कर अगर कोई एक मकान बेचकर जीवन में एक बार दो मकान खरीदता है तो उसे यह छूट मिलेगी। इससे संयुक्त परिवार से एकल परिवारों में विभाजित होने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

अप्रत्यक्ष करों में मुख्य फोकस एमएसएमई पर ही रहा। निर्माताओं और निर्यातकों के लिए ड्यूटी फ्री कैपिटल गुड्स के आयात की संशोधित व्यवस्था लागू की गई है और सिंगल प्वाइंट अप्रूवल शुरू किया गया है। आयात-निर्यात प्रक्रिया के पूर्ण डिजिटाइजेशन के कदम उठाए गए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बजट जरूरतमंदों के लिए काफी उदार है। समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए भरपूर आवंटन किया गया है। दूसरी ओर सरकार ने जमीनी सोच दर्शाते हुए समुचित राजस्व संग्रह के लिए योजना बनाई है। बजट ने आम लोगों में आशाओं का नया संचार किया है। इसमें नव भारत की तस्वीर भी दिखाई देती है। जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक टैक्स प्रक्रिया वास्तविकता बनेगा और भ्रष्टाचार और काला धन इतिहास की बात हो जाएगी।